प्रेस नोट
दिनांक 03.06.2026

उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का किया गया निरीक्षण, सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 25.04.2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया, चेकिंग/फ्रिस्किंग व्यवस्था, परीक्षा कक्षों की व्यवस्थाओं तथा अन्य आवश्यक प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस दौरान परीक्षा केन्द्रों पर स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की कार्यशीलता भी चेक की गई, जिससे परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाए तथा अभ्यर्थियों की नियमानुसार सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए। महोदय द्वारा सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी एवं ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

परीक्षा दिनांक 03.06.2026 व 04.06.2026 को दो पालियों में आयोजित की जा रही है। प्रथम पाली प्रातः 09:30 बजे से 12:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:30 बजे से 05:30 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी एवं अधिकारीगण तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के आसपास सतत निगरानी रखी जा रही है तथा भ्रमणशील पुलिस टीमें लगातार गश्त कर रहीं है,संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। जनपद प्रशासन एवं पुलिस विभाग के समन्वय से परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न जा रहा है।

महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान बताया गया कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा की शुचिता को भंग न कर सके। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधन के प्रयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संलिप्त पाए जाने पर कड़ी विधिक कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.06.2026, थाना उमरीबेगमगंज
जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-137/2026 धारा 191(2), 115(2), 109(1), 352, 351(3) बी0एन0एस0 व 3(2)(V) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों - 01. ताज मोहम्मद पुत्र गोल, 02. सादाब पुत्र बकरीदी निवासी ग्राम लालापुरवा बरौली, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा को गाँव के बाहर इदगाह से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी धर्मेन्द्र पासी पुत्र घिर्राऊ पासी निवासी बरौली पूरे लाला पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 01.06.2026 को शाम 05 बजे वह सैटरिंग का सामान लेकर ताज मो0 की दुकान पर उतारने गया था कि विपक्षीगण शादाब, ताज मो0, फिरोज, नईम, लोही, बब्बू, अख्तर आदि लोग एक राय होकर जाती सूचक गाली देते हुए सैटरिंग के फट्टों से जान से मारने की नियत उसके सिर हमला कर दिए, जिससे गंभीर चोटें आई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमे आज दिनांक 03.06.2026 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए वांछित अभियुक्तों - 01. ताज मोहम्मद पुत्र गोल, 02. सादाब पुत्र बकरीदी निवासी ग्राम लालापुरवा बरौली, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा को गाँव के बाहर इदगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. ताज मोहम्मद पुत्र गोल निवासी ग्राम लालापुरवा बरौली, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।
02. सादाब पुत्र बकरीदी निवासी ग्राम लालापुरवा बरौली, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-137/2026 धारा 191(2), 115(2), 109(1), 352, 351(3) बी0एन0एस0 व 3(2)(V) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश यादव
02. हे0का0 विजयनरायन पाण्डेय,
03. का0 मणिकान्त चौहान,
04. रि0का0 आदर्श सिंह
05. रि0का0 शिवम मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।